राजस्व वाद 78 / 2020
कल्याणसिंह बनाम भैरूसिंह वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 78 / 2020

वादीगण –

1. कल्याणसिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 27 साल
2. सुल्तानसिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 23 साल
   जातियान–राजपूत निवासीगण मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भैरूसिंह पुत्र गायड़सिंह उम्र 87 वर्ष जाति राजपूत निवासी–मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 20/10/2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 436 रकबा 2.8814 हैक्टेयर, ख.न. 437 रकबा 3.0756, खसरा न. 542 रकबा 0.3804 हैक्टेयर के रूप में मौजा मांगलोद तहसील जायल मे स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने माफिक वाद पत्र बंटवारा स्कीम पैरा संख्या 3 (क, ख, ग) अनुसार बंटवारा कर काबिज हो गये है। परन्तु राजस्व रेकर्ड

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

20/10/2020
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने वकालात नामा व ईकवालिया जवाब दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 का इकवालिया जवाव व प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह कल्याणसिंह का शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये गये। जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल जमाबन्दी ग्राम मांगलोद तहसील जायल संवत् 2073–76 खाता संख्या 301/247 खसरा नं. 436, 437, 542 कुल रकवा 6.3374 बीघा प्रदर्श– 1 कराई, जो कि वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 के अनुसार सम्पूर्ण खाता भैरूसिंह पुत्र गायड़सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब व वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वादपत्र में संयोजित है तथा वादपत्र के पैरा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अनुतोष पक्षकारान द्वारा चाहा गया है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खेतायो का समस्त पक्षकारान ने पृथक–पृथक खसरों का पूर्णरूपेण विभाजन वाद पत्र में किया जाकर अनुतोष चाहा है। जिससे लगान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री न की जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अतः वाद में वादीगण कल्याणसिह व सुल्तानसिह वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार घोषित किया जाना तथा माफिक वाद पत्र के पैरा संख्या 1 (क,ख,ग) अनुसार स्वीकार जाकर अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायालय मत में उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

– : : आदेश : –

यत् वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है तथा वादी संख्या 1 कल्याणसिंह व वादी संख्या 2 सुल्तानसिह को ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 436, 437 व 542 में प्रतिवादी संख्या 1 भैरूसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्ता खेतायों के संबंध में प्रस्तुत वाद अनुसार वादपत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. वादी कल्याणसिह के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 436 रकबा 2.8814 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
2. वादी सुल्तानसिह के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 437 रकबा 3.0756 हैक्टेयरघोषित किया जाता है।
3. शेष खेत खसरा नं 542 रकबा 0.3404 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत् रखा जाता है।

तद्नुसार लगान की कायम की जावे। माफिक आदेश अन्तिम डिक्री पर्चा तैयार होकर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

20/10/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 78/2020
कल्याणसिंह बनाम भैरूसिंह वगैरह

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 78/2020

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

वादीगण –

1. कल्याणसिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 27 साल
2. सुल्तानसिंह पुत्र भैरूसिंह उम्र 23 साल

जातियान–राजपूत निवासीगण मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. भैरूसिंह पुत्र गायड़सिंह उम्र 87 वर्ष जाति राजपूत निवासी–मांगलोद तहसील जायल जिला नागौर।
2. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. वादी कल्याणसिह के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 436 रकबा 2.8814 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
2. वादी सुल्तानसिह के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में ग्राम मांगलोद तहसील जायल के खसरा नं. 437 रकबा 3.0756 हैक्टेयर घोषित किया जाता है।
3. शेष खेत खसरा नं 542 रकबा 0.3404 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 भैरूसिंह के यथावत् रखा जाता है।

तदनुसार लगान कायम हो।

20/10/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 78 / 2020
कल्याणसिंह बनाम भैरूसिंह वगैरह

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...20/10/2020...... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			खरo तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

20/10/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner